FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0018 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/01/2026 17:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/01/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:10 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/01/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/01/2026 17:29:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** SHRI ARBUDA TEA STALL AND JANRAL STOR, BHEENMAL BYPASS TIRAHAYA JALOR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJPUROHIT HITESH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SAMEL JI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DAKATARA, BAGARA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DAKATARA, BAGARA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PURANMAL MEENA		पिता:SHYONARAYAN MEENA	1. SUNARI,RAJGARH(ALWAR),AL

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		18,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 18,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार करवाने बाबत। महोदय,सविनय निवेदन है कि मै प्रार्थी राजपूरोहित हितेश कुमार पुत्र श्री समेल जी, उम्र 36 साल निवासी गावं डकातरा थाना बागरा, जिला जालोर हाल होटल मालिक रामदेव होटल वागोड़िया चौकड़ी एनएच 48 वडोदरा गुजरात का रहने वाला हुं मेरी पत्नि श्रीमति कंकर कवंर के नाम से बागरा में कृषि भूखण्ड खसरा संख्या 2829,2830 व 2831 कुल रकबा 3.4000 हैक्टयर में से 1/18 हिस्सा यानि 0.1889 हैक्टयर मेसे आराजी रकबा 0.0214 हैक्टयर (प्लॉट) अगस्त 2024 में खरीद किया हुआ है जिसकी रजिस्टी मेरी पत्नि के नाम से है जिसका म्यूटेशन आज दिनांक तक नही भरा गया है इस संबंध मैं मेरे बागरा हल्का पटवारी श्री पूरण जी से मिला तो उन्होने मुझसे 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की है जिस पर मेरे द्वारा रिश्वत रकम ज्यादा होने के लिये बोला तो उन्होने कहा लास्ट 20,000 रूपये लुंगा इससे कम नही लुगां अगर तेरे को म्युटेशन भरवाना है तो 20,000 दे देना नही तो कही भी चले जाना आपका म्युटेशन नही भरा जायेगा। मै मेरे जायज काम के लिये पटवारी श्री पूरण जी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं मेरी पटवारी श्री पूरण जी से कोई दुश्मनी/रंजिश नही है तथा ना ही कोई हम दोनो के मध्य लेन-देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांकः- 06.01.2026 एसडी हितेश प्रार्थी राजपूरोहित हितेश कुमार पुत्र श्री समेल जी उम्र 36 निवासी डकातरा पुलिस थाना बागरा, तहसील व जिला जालोर, हाल निवासी प्लॉट नं. 285, धीरज नगर-1 स्वामी नारायण सोसायटी, गोडादरा सुरत सीटी, सुरत (गुजराज) मो.नं. कार्यावाही पुलिस दिनांक 06.01.2026 समयः- 02.00 पी.एम. पर परिवादी राजपूरोहित हितेश कुमार पुत्र श्री समेल जी, उम्र 36 निवासी डकातरा पुलिस थाना बागरा, तहसील व जिला जालोर, हाल निवासी प्लॉट नं. 285, धीरज नगर-1 स्वामी नारायण सोसायटी, गोडादरा सुरत सीटी, सुरत (गुजराज) हाल होटल मालिक रामदेव होटल वागोड़िया चौकड़ी एनएच 48 वडोदरा (गुजरात) मोबाईल नं. ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर में उपस्थित होकर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आश्य की पेश कि की पत्नि श्रीमति कंकर कवंर के नाम से बागरा में कृषि भूखण्ड खसरा संख्या 2829,2830 व 2831 कुल रकबा 3.4000 हैक्टयर में से 1/18 हिस्सा यानि 0.1889 हैक्टयर मेसे आराजी रकबा 0.0214 हैक्टयर (प्लॉट) अगस्त 2024 में खरीद किया हुआ है जिसकी रजिस्टी मेरी पत्नि के नाम से है जिसका म्यूटेशन आज दिनांक तक नही भरा गया है इस संबंध मैं मेरे बागरा हल्का पटवारी श्री पूरण जी से मिला तो उन्होने मुझसे 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की है जिस पर मेरे द्वारा रिश्वत रकम ज्यादा होने के लिये बोला तो उन्होने कहा लास्ट 20,000 रूपये लुंगा इससे कम नही लुगां अगर तेरे को म्युटेशन भरवाना है तो 20,000 दे देना नही तो कही भी चले जाना आपका म्युटेशन नही भरा जायेगा। मै मेरे जायज काम के लिये पटवारी श्री पूरण जी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं मेरी पटवारी श्री पूरण जी से कोई दुश्मनी/रंजिश नही है तथा ना ही कोई हम दोनो के मध्य लेन-देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर परिवादी से विस्तृत पुछताछ की गई। दरियाफ्त पर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार ने उक्त रिपोर्ट स्वयं के किसी परिचित से कम्प्यूटर पर टाईप करवाकर लाना बताया जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया व रिपोर्ट के साथ स्वयं के आधार कार्ड की स्व.प्रमाणित फोटो प्रति तथा उपरोक्त प्लॉट से संबंधित दस्तावेजात की स्वःप्रमाणित प्रतियां पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व दरियाफ्त से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिधि में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से कार्यालय हाजा के मालखाना में से डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाया गया जिस पर श्री रविन्द्र कुमार स.उ.नि. ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री सुरेन्द्र सीगङ कानि. नं. 232 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर तलब करने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उपस्थित परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से आपस में परस्पर परिचय करवाया गया तथा दोनो के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन किया जाकर मय मैमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर

उपस्थित परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार एवं श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चलाने की प्रक्रिया के बारे में भलीभाँति समझाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर को स्वीच-ऑफ कर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 को रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु सुपुर्द किया जाकर समयः- 03.15 पी.एम. पर श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्सट्राल सुदा खाली नये मैमोरी कार्ड के परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के साथ रिश्वति राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर परिवादी के निजी वाहन से संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी बागरा से संपर्क कर वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु बागरा जिला जालोर की तरफ रवाना किया गया था जो समयः- 05.20 पी.एम. पर मय परिवादी के जरिए परिवादी के निजी वाहन से कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीच-ऑफ हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया की निर्देशानुसार कार्यालय हाजा से रवाना होकर बागरा की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान जालोर आरटीओ कार्यालय के आस-पास पहूंचे जहां परिवादी ने अपनी गाड़ी को एक तरफ खड़ी कर बताया कि मैं श्री पूरण जी पटवारी से फोन पर वार्ता कर पुछ लेता हूँ कि वो कहां है। तत्पश्चात परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार ने स्वयं के मोबाईल से श्री पूरण जी पटवारी के मोबाईल पर कॉल किया तो पटवारीजी ने धवला गांव में होना बताया और पटवारीजी ने परिवादी को धवला गांव में बस स्टेण्ड पर आने के लिए कहा। परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु कॉल किया गया था जिससे उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तत्पश्चात मन् कानि. मय परिवादी के रवाना होकर ग्राम धवला के नजदीक पहूंचे जहां परिवादी ने स्वयं के मोबाईल से पटवारीजी के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की तो पटवारीजी ने बताया कि आप कहां हो धवला में प्रवेश करते ही सीधे रोड़ पर आ जाओ मैं वहीं आगे खड़ा हूँ। उक्त वार्ता को भी संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति ज्ञात करने के कारण डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तत्पश्चात समय करीबन 04.13 पी.एम. पर मन् कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर पटवारजी से वार्ता करने हेतु रवाना किया तथा मन् कानि. परिवादी के वाहन से उतरकर अपनी उपस्थिति/पहचान छुपाते हुए ग्राम धवला के बस स्टेण्ड के ईर्द-गिर्द परिवादी के पुनः उपस्थित आने के इन्तजार में व्यस्त रहा। समय करीबन 04.35 पी.एम. पर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार मन् कानि. के पास पूर्व निर्धारित स्थान पर उपस्थित आया जिस पर मन् कानि. ने परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया गया डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया। परिवादी ने मन् कानि. को बताया कि उसकी वार्ता श्री पूरणजी पटवारी से ग्राम धवला में एक दूकान पर हुई तथा वार्ता के दौरान पटवारीजी ने मेरे प्लॉट के म्यूटेशन भरने से संबंधित वार्तालाप की तथा मेरे प्लॉट का म्यूटेशन भरने की एवज में मेरे से पूर्व में मांगे गये 20,000/- रुपये रिश्वती राशि के संबंध में वार्ता की है। तत्पश्चात मन् कानि. मय परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के निजी वाहन से ग्राम धवला से रवाना होकर कार्यालय हाजा में उपस्थित आये है। जिस पर उपस्थित परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार ने भी श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. के उपरोक्त कथनों की ताईद की। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर उसमे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड सुदा वार्तालाप को सुनने हेतु डिजीटल वॉयस रिकार्डर को रिवर्स कर सुना गया तो श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. व परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद होते हुए उपरोक्त वार्ता उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होना पाया गया तथा उक्त वार्ता में संदिग्ध अधिकारी पटवारी द्वारा परिवादी के उपरोक्त कृषि भूखण्ड (प्लॉट) का म्यूटेशन भरने से संबंधित परिवादी से वार्ता करना तथा म्यूटेशन भरने की एवज में परिवादी से रिश्वती राशि की मांग करने की मंशा साफ जाहिर हो रही है मगर उपरोक्त वार्ता में परिवादी से संदिग्ध अधिकारी द्वारा उसके जायज कार्य को करने की एवज में रिश्वती राशि की मांग करना स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिसके संबंध में परिवादी को रिकॉर्ड सुदा वार्तालाप को सुनाई जाकर विस्तृत पुछताछ की गई तो परिवादी ने उपरोक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की ताईद करते हुए कहा कि मैं एक बार पुनः पटवारीजी से संपर्क कर मेरे प्लॉट के म्यूटेशन भरने संबंधित वार्ता करना चाहता हूँ क्योंकि पटवारीजी मेरे उपरोक्त जायज कार्य करने की एवज में बिना रिश्वत लिए मेरा कार्य नहीं करेगा। परिवादी ने बताया की आज अब और कल मेरे अति-आवश्यक कार्य होने से मैं दिनांक 08.01.2026 को दोपहर तक आपके पास अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित आ जाऊंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उपरोक्त कार्यवाही में गोपनीयता बरतने तथा नियत समय पर अग्रीम कार्यवाही हेतु पुनः उपस्थित आने की हिदायत कर फॉरिक किया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच-ऑफ हालात मे मय मैमोरी कार्ड के स्वयं के पास सुरक्षित रखा। दिनांक 08.01.2026 को समयः- 12.30 पी. एम. पर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार पूर्व पाबंध सुदा कार्यालय हाजा में मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। परिवादी ने बताया की मैने मेरे स्तर पर जानकारी प्राप्त की तो श्री पूरण जी पटवारीजी आज बागरा में ही है। आज मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मेरे कार्य के संबंध में मेरे से पुनः वार्तालाप कर लेगें। जिस पर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 को मन् एएसपी ने कार्यालय कक्ष में तलब किया तथा उपस्थित परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. को आवश्यक हिदायत दी जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व में सुरक्षित रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड जिसमे दिनांक 06.01.2026

को उक्त परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई वार्तालाप रिकार्ड है को स्वीच-ऑफ हालात में श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर समयः- 01.20 पी.एम.पर मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमे इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के हमरा परिवादी के निजी वाहन से उपरोक्त कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग का पुनः गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु बागरा की तरफ रवाना किया गया जो समयः- 04.10 पी.एम. पर मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमे इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड तथा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री सुरेन्द्र सीगड कानि.232 ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑफ हालात में प्रस्तुत कर बताया कि निर्देशानुसार कार्यालय हाजा से मय परिवादी के बागरा की तरफ रवाना होकर कस्बा जालोर से बाहर निकले तो परिवादी ने स्वयं के मोबाईल से संदिग्ध अधिकारी श्री पूरणजी पटवारी के मोबाईल पर कॉल करके पुछा तो पटवारीजी ने बताया की आप बागरा आ जाओ मैं वहीं मिलूंगा जिस पर कुछ देर बाद कस्बा बागरा के नजदीक पहूंचे इसी दौरान संदिग्ध अधिकारी पटवारीजी का कॉल परिवादी के मोबाईल पर आया तथा परिवादी को बताया की मैं पुलिस थाना बागरा के पास ग्राम पंचायत भवन में आ गया हूँ आप वहीं आ जाओ। परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य मोबाईल पर हुई उपरोक्त वार्ता जो उपस्थिति ज्ञात करने से संबंधित होने से डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तत्पश्चात मन् कानि. मय परिवादी के पुलिस थाना बागरा जिला जालोर के नजदीक पहूंच डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के ऑन कर समय करीबन 02.47 पी.एम. पर परिवादी को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर संदिग्ध अधिकारी पटवारीजी से रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कर वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु ग्राम पंचायत भवन बागरा की तरफ रवाना किया तथा मन् कानि. अपनी पहचान/उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के पुनः उपस्थित आने के इन्तजार में वहीं आस-पास व्यस्त रहा। ताबाद समय करीबन 03.20 पी.एम. पर परिवादी पूर्व निर्धारित स्थान पर मन् कानि. के पास उपस्थित आया जिस पर मन् कानि. ने पूर्व में परिवादी को सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया। परिवादी ने मन् कानि. को बताया की उसकी वार्ता संदिग्ध अधिकारी पटवारजी से हुई जिसमे उन्होने मेरे से मेरे प्लॉट का म्यूटेशन भरने की एवज में 20,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा हाथा जोड़ी कर थोड़ा कम करने का निवेदन करने पर उन्होने 2,000/- रुपये कम कर 18,000/- रुपये रिश्वती राशि लेने हेतु सहमति दी इत्यादि वार्ता उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड है। तत्पश्चात मन् कानि. मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड तथा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के हमरा परिवादी के निजी वाहन से बागरा से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिस पर उपस्थित परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान श्री पूरणजी पटवारी जी ने मेरे से मेरी धर्मपत्नि के नाम प्लॉट का म्यूटेशन भरने से संबंधित वार्ता के दौरान पूर्व में हुई वार्ता अनुसार पटवारीजी द्वारा मांगे गए 20,000/- रुपये रिश्वत राशी मेसे मैने 5,000/- रुपये गिनकर पटवारीजी को देना चाहा तो उन्होने कहा की एक साथ ही लाकर देने हेतु कहा तथा वार्तालाप के दौरान श्री पूरणजी पटवारीजी ने मेरी पत्नि के नाम से मेरे प्लॉट का म्यूटेशन भरने की एवज में 20,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की व मेरे द्वारा हाथा जोड़ी करने पर उन्होने 2,000/- रुपये कम करते हुए 18,000/- रुपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुए। तत्पश्चात मैने फिर 5,000/- रुपये गिनकर देना चाहा तो उन्होने एक साथ ही पूरे 18,000/- रुपये लाकर देना तय किया। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर उसमे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को रिवर्स कर सुना गया तो श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. व परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद होते हुए उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड होना पाई गई। परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि पुनः मांग सत्यापन वार्ताओं के मुख्यांशः निम्नानुसार हैः-" परिवादी- सर ये तो मै अभी, आपको एक, दो, तीन, चार, पांच हजार रूपये, आरोपी- हूँ, परिवादी- बराबर, पांच हजार रूपये पकड़ीये, आरोपी- हूं, ना, इतना तो संभव ही नही है, परिवादी- मै, अरे साहब आप बोलोगें कल शाम को बोलोगे आज शाम को लाकर दे दुंगा मगर मुझे फाईनल बोल दो कितना देना है ईयू, आरोपी-ऐसे किश्तो मे मत करो, देखो हमे भी हमारी नोकरी मे डर रहता है, रियल मे डर रहता है, परिवादी- पण, मै आपको बोल रहा हूं, पांच हजार अभी दे रहा हूं, आरोपी-एक काम करो साथ मे दे देना चाहे मुझे दो दिन, चार दिन, पांच दिन जब भी देना है जबही ही दे देना, परिवादी-तो कितना दुं फाईनल बोलो प्लीज, आरोपी-अगर मै आपको डायरेक्ट ही पच्चीस मांगता, तीस मांगता तो आप क्या करते मेरे को एक बताओ, फिर आप, फिर आप, परिवादी- आपके हिसाब से बोल दिजिये मै दिल से दे दुंगा, ये मेरी गारंटी है, आरोपी- मैने आपको बताया ना, कह रखा है आपको, परिवादी- कितना, आरोपी- बीस, परिवादी-ये तो फाईनल है, बीस हजार तो फाईनल ही है, आरोपी- तो हजार पांच सो कम कर दो आप, अपने हिसाब से बस, परिवादी- वो आपकी बात सही है, थोड़ा बहुत तो कम कर दो प्लीज, आरोपी- अठारह " इत्यादि वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। परिवादी के कथनों एवं रिकार्ड वार्तालाप को सुनने से पाया गया कि संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी द्वारा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से उसकी पत्नि के नाम उसके प्लॉट का म्यूटेशन भरने बाबत् जायज कार्य की एवज में 18,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टी होती है। परिवादी ने मन् अति.पुलिस अधीक्षक को बताया की रिश्वती राशि 18,000/- रुपये पटवारीजी ने दो-चार दिन में लाकर देने का कहा है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी

कार्ड के स्वीच-ऑफ कर मन् एएसपी ने स्वयं के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज में रखकर तालाबंद कर चाबी स्वयं के कब्जे ली तथा उपरोक्त वार्ताओं की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया। परिवादी ने बताया कि मेरे अति-आवश्यक घरेलु कार्य से जोधपुर जाना आवश्यक है एवं मन् अति.पुलिस अधीक्षक की अन्य प्रकरण में न्यायालय जयपुर मे अति-आवश्यक शहादत होने से जयपुर जाना आवश्यक होने से उक्त प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में अग्रीम कार्यवाही दिनांक 11.01.2026 को करने का निर्णय लेकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 18,000/- रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर दिनांक 11.01.2026 को प्रातः कार्यालय हाजा में उपस्थित आने व प्रकरण में गोपनीयता की हिदायत कर रुकस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांकः-11.01.2026 को समयः- 11.00 ए. एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अति.पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ कार्यालय हाजा में उपस्थित है तथा पूर्व पाबंध सुदा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार भी कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। परिवादी ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 18,000/- रुपये साथ लेकर आना बताया। जिस पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने व राजपत्रित अवकाश होने से मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने जरिए वाट्सअप कॉल सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जालोर को दो स्वतंत्र गवाह भिजवाने हेतु निवेदन किया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 45 दिनांक 11.01.2026 की तहरीर जरिए वाट्सअप प्रेषित की गई, प्राप्ति तहरीर गवाहान के साथ भिजवाने हेतु कहा गया। जिस पर कार्यालय सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जालोर से पाबंद सुदा दो स्वतंत्र गवाह कार्यालय हाजा में मन् अति.पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये जिनका परिचय प्राप्त किया गया तो दोनो गवाहान ने अपना परिचय क्रमशः सर्व श्री जगदीश चौहान पुत्र श्री बाबुलाल जाति, मेघवाल उम्र 36, निवासी बावरला पुलिस थाना सरवाना जिला जालोर हाल कर सहायक कार्यालय सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग वृत जालोर, जिला जालोर, मोबाईल नंबर तथा श्री हनुमानाराम पुत्र श्री गंगाराम जाति विश्नोई उम्र 26 साल निवासी भागभरे की बेरी पुलिस थाना धोरिमन्ना जिला बालोतरा, हाल कनिष्ट सहायक, कार्यालय सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग वृत जालोर, जिला जालोर , मोबाईल नंबर होना बताया व गवाहान ने उनके कार्यालय से जारी सुदा गवाह तलबी बाबत् पत्र क्रमांक 210 दिनांक 11.01.2026 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात उपस्थित दोनो गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उपस्थित परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 06.01.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा पढाया गया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड जो स्वीच-ऑफ हालात मे मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज में रखा हुआ था जिसे निकालकर ऑन कर उसमे दिनांक 06.01.2026 व 08.01.2026 को परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री पूरणजी पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन संबंधित वार्ताओं को पृथक-पृथक रिवर्स कर वार्ताओं के मुख्याशं दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये, दोनो गवाहान ने रिकार्ड सुदा वार्ताओं मे रिश्वती राशि मांग की पुष्टी होना बताया। ताबाद दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति देते हुए दोनो गवाहान ने परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किए तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन् एएसपी ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार द्वारा आरोपी श्री पूरणजी पटवारी बागरा, जिला जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 36 नोट कुल राशि 18,000/- रुपये अपनी जेब से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाये जाकर कार्यालय हाजा के श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को सुपुर्द करवाई गई। तत्पश्चात उपरोक्त पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के सभी नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी राजपूरोहित हितेश कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान कर सहायक से लिरवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु/ दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए गए तथा परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 18,000/- रूपये परिवादी राजपूरोहित हितेश कुमार के पहने हुए सफेद कलर के शर्ट कि बांयी साईड की उपरी जेब में रखवाए जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी को रास्ते में हाथ नहीं लगाए एवं छुए नहीं तथा आरोपी श्री पूरण जी पटवारी द्वारा मांगने पर ही उसे अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बांयी जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड्कर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी राजपूरोहित हितेश कुमार को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री पूरण जी पटवारी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उक्त राशि आरोपी श्री पूरण जी पटवारी के प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर एक-दो बार आगे-पिछे हाथ फेरकर या मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल या मिस कॉल कर या

ट्रेप दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात् कार्यालय हाजा से एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाया गया, जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुन मालखाना में रखवाई जाकर मालखाना को बंद कर ताला लगवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के दोनों हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेज एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को उक्त कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु पिछे छोड़ने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की कार्यालय हाजा के सरकारी विडियो कैमरे में एक नया मैमोरी कार्ड डलवाकर श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 से विडियोग्राफी करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोट तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः- 02.13 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी की उपस्थिति ज्ञात कराने हेतु परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से उसके मोबाईल नंबर से श्री पूरण जी पटवारी के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया तो पटवारी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। तत्पश्चात कुछ समय उपरांत वक्त 02.21 पी.एम. पर परिवादी से पुनः कॉल करवाया गया तो भी पटवारी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। ताबाद समयः- 03.32 पी.एम. पर संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी के मोबाईल नंबर से परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के मोबाईल नंबर पर मिसकॉल आया, जिस पर तुरंत ही परिवादी ने पुनः पटवारी श्री पूरण जी को कॉल किया तो पटवारी जी ने बताया की मैं तखतगढ की तरफ गया हुआ हुँ, रात को देरी से आऊंगा। जिससे आज उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रीम कार्यवाही किया जाना संभव प्रतित नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपरोक्त अग्रीम कार्यवाही दिनांक 12.01.2026 को करने का निर्णय लेकर पूर्व में परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के पहने हुए सफेद कलर के शर्ट कि बांयी साईड की उपरी जेब में रखवाई गई रिश्वत में दी जाने वाली राशि 18,000/- रुपये को स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान से निकलवा कर एक सफेद लिफाफे में रखवाई जाकर उक्त राशि लिफाफे सहित सुरक्षार्थ मालखाना में रखवाई गई, उपरोक्त की राजकीय कैमरा से विडियोग्राफी करवाई गई एवं अग्रीम कार्यवाही दिनांक 12.01.2026 को करने का निर्णय लेकर गवाहान सर्व श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक तथा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार को प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर दिनांक 12.01.2026 को प्रातः कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया जाकर रुकस्त किया गया एवं ब्यूरो स्टाफ को भी उक्त के संबंध में नियत समय पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु हिदायत की गई। मन् एएसपी ने स्वयं के पास रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को स्वयं के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज में सुरक्षित रखकर दराज को तालाबंद कर चाबी स्वयं के पास सुरक्षित रखी। तत्पश्चात दिनांकः-12.01.2026 को समयः- 11.15 ए.एम. को मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ कार्यालय हाजा में उपस्थित है। पूर्व पाबंद सुदा स्वतंत्र गवाह सर्व श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक तथा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर समयः- 12.22 पी.एम. पर संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से उसके मोबाईल नंबर से श्री पूरण जी पटवारी के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया तो पटवारी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। जिस पर परिवादी को अपने स्तर पर संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी की उपस्थिति ज्ञात करने बाबत् हिदायत की गई। तत्पश्चात समयः- 12.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक एवं बमौजूदगी परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के दिनांक 06.01.2026 को परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी बागरा, जिला जालोर के

मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई रुबरु वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड सहित कम्प्यूटर से कनेक्ट कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन पूर्व रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई तथा समयः- 02.30 पी.एम. पर रुबरु स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक एवं बमौजूदगी परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के दिनांक 08.01.2026 को परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी बागरा, जिला जालोर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित कम्प्यूटर से कनेक्ट है, उक्त मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्तालाप को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। कम्प्यूटर से कनेक्ट उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व रुबरु वार्तालाप दिनांक 06.01.2026 एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 08.01.2026 की दो डब/क्लोन डीवीडी तैयार की जाकर एक आई.ओ. एवं एक आरोपी के लिए खुली हालात में रखी गई एवं समयः- 04.40 पी.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी बागरा, जिला जालोर एवं परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के मध्य दिनांक 06.01.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई रुबरु वार्तालाप एवं दिनांक 08.01.2026 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे एक ही मैमोरी कार्ड में पृथक-पृथक रिकार्ड करवाई गई है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर RAJ-M6 DEC-25 8 GB लिखा हुआ पाया गया, जिसकी हैश वैल्यू निकालकर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड में पृथक-पृथक अंकित की गई जिसका फाईल नाम क्रमशः 260106_1613.mp3 एवं हैश वेल्यू df7d831395172401 8329b25447ab86c 0102c6 aef 0424cd3f84eaf24b36eeeeae तथा फाईल नाम 260108_1447.mp3 एवं हैश वेल्यू f6a9454167421e0106a1f283aa8898c62727ce4eee7c74e870f906c052bc89c0 व उक्त दोनो का एल्गोरिथम SHA256 है। उक्त मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक के छोटे कवर में रखकर एक सफेद रंग के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर किया गया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क M अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार ने बताया कि मैने मेरे स्तर पर मालूमात की तो ज्ञात हुआ कि श्री पूरण जी पटवारी साहब आज सुबह से किसी जरुरी सरकारी कार्य से व्यस्त है, जिससे हो सकता है आज वो मेरे से तय वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेंगे। जिस पर परिवादी के बताये अनुसार प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में अग्रीम कार्यवाही दिनांक 13.01.2026 को करने का निर्णय लेकर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक को प्रकरण में गोपनियता की आवश्यक हिदायत कर कल दिनांक 13.01.2026 प्रातः कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रुकस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांकः- 13.01.2026 को समयः- 09.00 ए.एम. पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ कार्यालय हाजा में उपस्थित है, तथा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक भी पूर्व पाबंद सुदा उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए समयः- 09.13 ए.एम. पर संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के मोबाईल नंबर से श्री पूरण जी पटवारी के मोबाईल नं पर कॉल करवाया गया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तत्पश्चात तुरंत ही संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी ने अपने वाट्सअप नंबर से परिवादी के वाट्सअप नंबर पर कॉल कर बताया की आज और कल दो दिन मैं इलेक्शन संबंधित ड्यूटी में व्यस्त हूँ मैं आपको कल कॉल करता हूँ इत्यादि बताया। जिस पर अग्रीम प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही दिनांक 14.01.2026 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक को प्रकरण में गोपनियता की आवश्यक हिदायत कर कल दिनांक 14.01.2026 को प्रातः कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रुकस्त किया। तत्पश्चात दिनांक 14.01.2026 को समयः- 08.40 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार ने जरिए वाट्सअप कॉल बताया की आज दिनांक 14.01.2026 को वक्त 08.34 ए.एम. पर मेरे मोबाईल नंबर पर श्री पूरण जी पटवारी के मोबाईल नं. से वाट्सअप कॉल आया व मुझे

बताया की आप कहां हो आ जाओ जिस पर मैने बताया की मैं जालोर से काफी दूर हूँ मुझे आने में दो घंटे का समय लगेगा जिस पर पटवारी जी ने बताया की आज में चुनाव संबंधित ड्यूटी में व्यस्त होने से कलेक्ट्रेट में चला जाऊंगा जिस कारण मैं शाम को आपको कॉल करके मिलता हूँ। जिस पर मन् एएसपी ने परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर समय करीबन 04.30 पी.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया जिस पर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार हस्व तलविदा कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। चुंकि परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी ने परिवादी को शाम के समय मिलने का तकाजा किया है। तत्पश्चात समयः- 05.18 पी.एम. पर परिवादी ने स्वयं के मोबाईल नंबर से संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी के मोबाईल नंबर पर वाट्सअप कॉल किया जो संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिसीव नहीं किया गया तत्पश्चात पुनः 05.25 पी.एम. पर पुनः परिवादी ने वाट्सअप कॉल किया जो रिसीव नहीं किया। तत्पश्चात वक्त 05.56 पी.एम. पर संदिग्ध अधिकारी श्री पूरण जी पटवारी ने अपने वाट्सअप नं. से परिवादी के वाट्सअप नंबर पर कॉल कर बताया की आप जालोर आ जाओ, मैं ड्यूटी से अभी फ्री हुआ हूँ, जालोर आकर मुझे कॉल करना, जिस पर परिवादी ने कहा की जालोर में कहां मिलोगे तो पटवारी जी ने बताया की भीनमाल बाईपास आकर कॉल करना उक्त दोनो के मध्य हुई वाट्सअप वार्ताओं की राजकीय विडियो कैमरा से विडियोग्राफी श्री बबन मिश्रा कानि. 110 से करवाई गई। अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् एएसपी द्वारा पूर्व पाबंद सुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान को शीघ्र कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु जरिए वाट्सअप कॉल कहा गया व ब्यूरो स्टाफ को आवश्यक सामग्री/उपकरण, ट्रेप बॉक्स इत्यादि तैयार करने हेतु आवश्यक हिदायत की गई। जिस पर समयः- 06.15 पी.एम. पर पूर्व पाबंद सुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान कर सहायक व श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक कार्यालय हाजा में मन् एएसपी के समक्ष उपस्थित आये। मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार स.उनि.को निर्देशित किया गया की पूर्व में रिश्वत में दी जाने वाली राशि 18,000/- रुपये जो एक सफेद लिफाफे में रखी जाकर सुरक्षार्थ मालखाना में रखवाई गई है जो श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को सुपुर्द कर मन् एएसपी के समक्ष उपस्थित आवें। जिस पर श्री भरतसिंह कानि.चालक 501 उपरोक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि मय लिफाफे के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया जिस पर उक्त राशि गवाहान के रुबरु परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के पहने हुए शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखवाये गये तथा सफेद लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया। पूर्व की भांति आवश्यक हिदायत दी जाकर परिवादी व श्री भरतसिंह कानि.चालक, स्वतंत्र गवाहान तथा समस्त ट्रेप पार्टी के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा देने मे पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावें एवं परिवादी को यह भी हिदायत दी गई की रिश्वत राशि आदान-प्रदान के पश्चात स्वयं के निजी वाहन के एण्डीकेटर जलाकर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी ने परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार को स्वयं के वाहन मय श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड के अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु भीनमाल बाईपास की तरफ रवाना कर श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि को हिदायत दी गई की भीनमाल बाईपास पहूंच परिवादी से संदिग्ध अधिकारी को कॉल करवाकर वार्ता कर वस्तुस्थिति से मन् एएसपी मय ट्रेप दल को सूचित करें एवं रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर सूचित करें, परिवादी के पिछे-पिछे श्री करणीदान कानि. 236 को जरिए निजी मोटरसाईकिल एवं श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक मय श्री कालूराम कानि. 477 को जरिए निजी मोटरसाईकिल एवं श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93 मय श्री आदूराम कानि. 142 व स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान के जरिए निजी वाहन के रवाना किया एवं मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक, श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री बबन मिश्रा कानि. 110 मय राजकीय विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री, लेपटॉप प्रिन्टर मय पेपर रीम के जरिये निजी वाहन के अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि.ब्यूरो जालोर से जालोर कस्बा स्थित भीनमाल बाईपास की तरफ रवाना हुए। श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु छोड़ा गया। उपरोक्तानुसार रवाना सुदा परिवादी के पिछे-पिछे मन् एएसपी मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष हमरायान के मोटरसाईकिल/वाहनों के भीनमाल बाईपास पहूंचे जहां श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. ने जरिए वाट्सअप कॉल मन् एएसपी को बताया की परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तानुसार आरोपी ने परिवादी को लेन-देन हेतु भीनमाल बाईपास से थोड़ा आगे धवला मोड़ पर बुलाया है, जिस पर मन् एएसपी ने श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. को हिदायत दी की शीघ्र ही डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी को सुपुर्द करें एवं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मामूर होवें। तत्पश्चात ट्रेपदल के अन्य सदस्यगण मय स्वतंत्र गवाह जो आस-पास ही मौजूद थे को भी धवला मोड़ के आस-पास पहूंच अग्रीम पार्टी मे मौजूद सदस्य व परिवादी पर नजर रखने व लेन-देन होते ही शीघ्र सूचित करने की हिदायत कर मन् एएसपी मय हमरायान के भी वहीं आस-पास मामूर हुआ। ताबाद दिनांक 14.01.2026 को समयः- 07.10 पी.एम. पर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार ने रिश्वती राशि लेन-देन के पश्चात जालोर-बागरा रोड़ पर धवला मोड़ से जालोर शहर की तरफ स्वयं की गाड़ी में चलते हुए गाड़ी का डिपर देकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर पूर्व में धवला मोड़ पर मामूर सुदा श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 ने जरिए वाट्सअप कॉल मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत राशि का लेन-देन हो जाने बाबत् बताया व कहा

कि.संदिग्ध अधिकारी व परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार परिवादी के निजी वाहन से जालोर शहर की तरफ आ रहे है तथा इनके पिछे-पिछे मैं व श्री करणीदान कानि. 236 निजी मोटरसाईकिल पर चल रहे है। मन् मांगीलाल राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं के निजी वाहन में मय श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री बबन मिश्रा कानि. 110 मय सरकारी विडियो कैमरा बमय स्वतंत्र गवाह सर्व श्री हनुमानाराम के पूर्व से ही जालोर शहर की तरफ रोड किनारे साईड में मामूर हूँ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हनुमानाराम व श्री गुलाबसिंह कानि., श्री बबन मिश्रा कानि. 110 के तुरंत ही हरकत में आते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने धवला मोड की तरफ जालोर-बागरा रोड पर पूर्व में निजी मोटरसाईकिल पर मामूर श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक व श्री कालूराम कानि. 477 तथा निजी कार में मामूर श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93 व श्री आदूराम कानि. 142 मय स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान इत्यादि को रिश्वत राशि लेन-देन के संबंध में सूचित कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार की गाडी का पिछा करते हुए भीनमाल बाईपास तिराये पर पहूंचे जहां परिवादी की गाडी एक चाय की दूकान पर रुकी तथा परिवादी की गाडी से परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व एक अन्य व्यक्ति गाडी से उतरकर जाकर चाय की दूकान पर रखी बेंच पर बैठे। तत्पश्चात शेष स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो दल के सदस्यगण भी मोटरसाईकिल/वाहन इत्यादि से भीनमाल बाईपास तिराये पर स्थित उक्त चाय की दूकान के आस-पास पहूंचे गये, जिस पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय समस्त हमरायान अपने-अपने वाहने से नीचे उतरे तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी की गाडी के पिछे ही खडे श्री करणीदान कानि. नं. 236 ने जाकर परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के पास बेंच पर बैठे व्यक्ति को पिछे से अपने दोनो हाथों से उसे पकडा उसी दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय हमरायान के श्री करणीदान कानि. के पास पहूंचे जहां मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में परिवादी को सुपुर्द किया गया डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया तथा उपस्थित परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार ने करणीदान कानि. द्वारा पकडे गये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यह ही श्री पूरणजी पटवारी है जिन्होने मेरे से कुछ देर पहले धवला मोड पर मेरे वाहन में बैठे-बैठे बागरा में स्थित मेरे कृषि भूखण्ड का नामान्तरण भरने की एवज में पूर्व में तय सुदा 18,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुई हुड्डी(जैकेट) की दाहिनी जेब में रखे है जो अभी भी इनकी जेब में है। तत्पश्चात श्री करणीदान कानि. द्वारा दस्तयाब किये गये व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री करणीदान कानि. 236 से ही व बांया हाथ श्री कालूराम कानि. 477 से कलाई से उपर पकड्वाकर उक्त चाय की दूकान के अन्दर ले जाकर रखी हुई बेंच पर बैठाया गया। तत्पश्चात मन् एएसपी के निर्देशानुसार हमरा जाब्ता के श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 जिसे पूर्व में राजकीय विडियो कैमरा मय इन्ट्राल मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया था उक्त विडियो कैमरा से विडियोग्राफी शुरु करवाकर दस्तयाब मुदा व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो दल के सदस्यगण तथा परिवादी का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री पूरणमल मीणा पुत्र श्री श्योनारायण मीणा उम्र 32 वर्ष जाति मीणा, निवासी सुनारी पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर (राज.) हाल पटवारी पटवार हल्का बागरा, जिला जालोर होना बताया। जिस पर कुछ देर पहले परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से ली गई राशि के संबंध में पुछा गया तो घबराते हुए बताया की हितेश जी से मैने इनके बागरा में स्थित कृषि भूखण्ड का नामान्तरण भरने हेतु राशि प्राप्त की है जो अभी मेरे पहनी हुई हुड्डी की जेब में रखे हुए है। तत्पश्चात मुख्य मार्ग होने से भीड-भाड होने की प्रबल संभावना के मध्यनजर रखते हुए प्रक्रियानुसार हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मन् एएसपी के निजी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक उपकरण/सामग्री को हमरा कानि. श्री गुलाबसिंह 140 से मंगवाई जाकर ट्रेप बॉक्स मेसे प्लास्टिक का एक पारदर्शी गिलास बाहर निकलवाकर उक्त चाय की दूकान पर रखे मटके मेसे पिने का साफ पानी एक लोटे में मंगवाकर उक्त गिलास में भरवाया गया। तत्पश्चात उक्त एक गिलास में एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल मे कोई परिवर्तन नहीं होकर घोल रंगहीन रहा, जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात एक रंगहीन गिलास के उक्त घोल मे आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित स्वतंत्र गवाहान, ट्रेपदल, परिवादी इत्यादि ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना बताया। उक्त गुलाबी रंग के धोवन को हमरा ट्रेप बॉक्स मेसे दो कॉँच की साफ शीशीयां निकलवाई जाकर उक्त गहरे गुलाबी रंग के धोवन को कांच की दोनो गिलासों मे आधा-आधा भरवाया जाकर दोनो शीशीयों पर ढक्कन लगवाया जाकर पृथक-पृथक ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मेसे एक दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलवाकर उक्त चाय की दूकान पर रखे मटके मेसे पिने का साफ पानी लोटे में मंगवाकर उक्त गिलास में भरवाया गया तथा उक्त गिलास में एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल मे कोई परिवर्तन नहीं होकर घोल रंगहीन रहा, जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन गिलास के घोल मे आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी रंग होना बताया जिस पर उक्त हल्के गुलाबी रंग के धोवन को हमरा ट्रेप बॉक्स मेसे दो कॉँच की साफ शीशीयां निकलवाई जाकर उक्त हल्के गुलाबी रंग के धोवन को कांच की दोनो शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया

जाकर दोनो शीशीयों पर ढक्कन लगवाया जाकर पृथक-पृथक ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई । उक्त चाय की दूकान पर भीड़-भाड़ हो जाने से उपरोक्त धोवन की शीशीयों पर चेंपों की कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी की जामा तलाशी गवाह श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक से लिवाई गई तो आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी के पास वक्त वाका पहनी हुई हुड्डी(जैकेट) की दाहिनी जेब में एक नोटो की गड्डी पाई गई जिसे जेब से निकलवाई गई जिसमें पांच सौ पांच सौ रुपये के नोट पाये गये जिस पर उक्त गवाह के पास पूर्व में रखी फर्द पेशकशी की प्रति को दूसरे गवाह श्री जगदीश चौहान को सुपुर्द करवाकर आरोपी पटवारी के पास पाई गई राशि पांच सौ पांच सौ रुपये के उक्त नोटों के नंबरों का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नंबरो से करवाया गया तो नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित नंबरों से हुबहु मिलान होना पाया गया तथा राशि की गणना की गई तो पांच सौ पांच सौ रुपये के कुल 36 नोट, कुल राशि 18,000/- रुपये होना पाया गया । उक्त राशि 18,000/- रुपयों को श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक को सुपुर्द करवाकर सुरक्षार्थ ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये । जालोर-बागरा-भीनमाल मुख्य मार्ग पर तिराहे के पास स्थित घटनास्थल उक्त चाय की दूकान का नाम देखा गया तो दूकान के बोर्ड पर श्री अबुर्दा टी स्टॉल एण्ड जनरल स्टोर लिखा हुआ होना तथा दूकान संचालित करने वाले व्यक्ति से उसका नाम पुछा तो श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री डूंगजी मेघवाल निवासी जालोर होना बताया । उक्त चाय की दूकान मुख्य मार्ग पर व आबादी एवं व्यवसायिक क्षैत्र होने से आने-जाने वाले लोगो एवं वाहनों की बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ होने के कारण उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रीम कार्यवाही कार्यालय हाजा पर पहूंचकर करने का निर्णय लिया जाकर ट्रेप बॉक्स मय धोवन की शीशीयां, बरामदा रिश्वती राशि मय आवश्यक सामग्री/उपकरण मन् एएसपी के वाहन में रखवाई जाकर दस्तयाब सुदा आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी को हमरा जाब्ता श्री रविन्द्र कुमार स.उ.नि. मय श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 की निगरानी में मन् एएसपी के निजी वाहन में बैठाया जाकर मन् एएसपी मय दस्तयाब सुदा आरोपी श्री पूरणमल मीणा, स्वतंत्र गवाह श्री हनुमानाराम कनिष्ट सहायक, श्री रविन्द्र कुमार स.उ.नि., श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. के मन् एएसपी के निजी वाहन से कार्यालय हाजा की तरफ रवाना हुआ तथा शेष स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान मय समस्त शेष ब्यूरो जाब्ता एवं परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार को अपने-अपने वाहनो/मोटरसाईकिल से शीघ्र कार्यालय हाजा पर पहूंचने की हिदायत दी गई । उपरोक्तानुसार रवाना सुदा मन् एएसपी मय दस्तयाब सुदा आरोपी मय स्वतंत्र गवाह श्री हनुमानाराम व हमराहयान के तथा शेष ब्यूरो जाब्ता, स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान व परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के कार्यालय हाजा पर पहूंचे । तत्पश्चात दस्तयाब सुदा आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी को जाब्ता की निगरानी में कार्यालय हाजा में मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में लाया गया तथा ट्रेप बॉक्स मय धोवन की शीशीयां व बरामदा रिश्वती राशि को भी कार्यालय कक्ष में मंगवाकर सुरक्षार्थ रखवाई गई । मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री हनुमानाराम व श्री जगदीश चौहान तथा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार एवं दस्तयाब सुदा आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्यूटर के माध्यम से अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई हुड्डी (जैकेट) की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पहनी हुई उक्त हुड्डी(जैकेट) को उतरवाकर ट्रेप बॉक्स मेसे एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलवाई जाकर पीने का साफ पानी उक्त गिलास में भरवाया जाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर उपस्थितगण को दिखाई गया तो उपस्थितगण ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया । तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी के वक्त वाका पहनी हुई हुड्डी(जैकेट) की दाहिने जेब जिसमे से रिश्वती राशि 18,000/- रुपये बरामद हुई थी,हुड्डी (जैकेट) की उक्त दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास के रंगहीन घोल में डूबो-डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी रंग होना बताया जिस पर उक्त धोवन को ट्रेप बॉक्स मेसे दो काँच की साफ शीशीयां निकलवाई जाकर उक्त गहरे गुलाबी रंग के धोवन को कांच की दोनो शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सुरक्षार्थ रखी गई । तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही घटनास्थल जालोर-बागरा-भीनमाल मुख्य मार्ग पर भीनमाल पाईपास तिराहे पर स्थित श्री अबुर्दा टी स्टॉल एण्ड जनरल स्टोर पर आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी के दोनो हाथों के लिये गये धोवन की चारों शीशीयां जो सुरक्षार्थ ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई थी, ट्रेप बॉक्स में से आरोपी के दाहिने हाथ के धोवन की दोनो शीशीयां बाहर निकलवाई जाकर अवलोकन किया जाकर उक्त शीशीयों के चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क क्रमशः आरएच-1 व आरएच-2 अंकित किया जाकर सील मोहर किया गया । तत्पश्चात आरोपी के बांये हाथ के धोवन की दोनो शीशीयां ट्रेप बॉक्स से बाहर निकलवाई जाकर अवलोकन कर शीशोयों के चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क क्रमशः एलएच-1 व एलएच -2 अंकित किया जाकर सील मोहर किया गया । ताबाद आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई हुड्डी(जैकेट) के दाहिनी जेब के धोवन की शीशीयों के चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चेपों पर मार्क क्रमशः एच-1 व एच-2 अंकित किया जाकर सील मोहर किया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी के वक्त वाका पहनी हुई हुड्डी (जैकेट) का अवलोकन किया गया तो हुड्डी(जैकेट) टोपीदार का रंग स्काई ब्लू व आगे सीने पर लाल रंग व कंधे पर धारीदार सफेद रंग एवं टोपी का रंग लाल होना पाया गया जिसके गर्दन के पिछे के हिस्से में अन्दर की तरफ अग्रेजी में ORIGINALS BRAND DENIM CLT.MNFRS, CLOTHING COMPANY लिखा होना पाया गया । उक्त हुड्डी(जैकेट) की दाहिनी

जेब को उलटाकर सुखा कर उस पर संबंधितगण के ब्लेक स्केच पेन से हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात उक्त हुड्डी(जैकेट) को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर मार्क " H " अंकित किया गया । तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में सुरक्षार्थ रखी गई रिश्वती राशि 18,000/- रुपये को निकलवाया जाकर गवाहान को सुपुर्द कर राशि पुनः गिनवाई गई तो पांच सौ पांच सौ रुपये के 36 नोट कुल राशि 18,000/- रुपये तथा उक्त राशि के नोटो के नंबर फर्द पेशकशी से मिलान करवाने पर नोटो के नंबर फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहु होना पाये गये, उपरोक्त पांच सौ पांच सौ रुपये के कुल 36 नंबरी नोट है जिनके नंबर क्रमशः निम्नानुसार है:- 1HQ 378740,4GU 146016,0EE 127218,2MS 015826,9EL 430945,6DE 446671,1KT 621249,1BS 384620,6BW 024193,0AL 025235,3BH 026378,7NG 109968,5WK 155304,9VB 307801,1CV 034293,3EH 333200,6SU 885656,1LH 013628,2FS 969809,2MD 390333,9BD 028054,4DN 700014,6LF 289309,6GD 212914,6PP 696643,5QC 866416,3AK 912744,6KP 727594,7HN 553236,7RU 752170,9EF 686724,5QC 200253,1SU 739407,1AB 833312,7UA 582780,5UV 153073 उपरोक्त बरामदा रिश्वती राशि 18,000/- रुपयों को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर किया जाकर मार्क " M-1 " अंकित किया गया जिमे तहवील एसीबी लिया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी, पटवार हल्का बागरा जिला जालोर को परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार द्वारा उसके कृषि भूखण्ड का नामान्तरण भरने हेतु दी गई रजिस्ट्री की प्रतियों के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने बताया की उक्त प्रतियां मुझे सुपुर्द की गई थी जो मेरे पटवार घर बागरा के कार्यालय या जालोर स्थित मेरे किराये के मकान में होगी मुझे स्पष्ट याद नहीं है । तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी पटवार हल्का बागरा जिला जालोर के मध्य आज दिनांक 14.01.2026 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त वॉयस रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना गया तो वक्त लेन-देन परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन संबंधित वार्तालाप रिकार्ड होना पाया गया । उपरोक्त बरामदा कार्यवाही के दौरान धोवन के उपयोग मे लिये गये प्लास्टिक के पारदर्शी समस्त गिलासों को जलाकर नष्ट करवाया गया । उपरोक्त रिश्वती राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान कब्जा एसीबी लिये गये समस्त मालखाना आईट्म जो उक्त फर्द बरामदगी मे अंकित है को मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुरक्षार्थ सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स मे रखवाये जाकर तालाबंद करवाया गया । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया । तत्पश्चात दिनांक:- 15.01.2026 को समय:- 12.00 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑन कर रिवर्स कर सुना गया तो परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार व आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना तथा रिकार्ड वार्ता से आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्टी होना पाया गया । जिस पर रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश चौहान व श्री हनुमानाराम एवं बमौजूदगी परिवादी श्री राजपुरोहित हितेश कुमार के दिनांक 14.01.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्ड को कम्प्यूटर के माध्यम से कनेक्ट कर उसमे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया । उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप की दो डब/क्लोन डीवीडी तैयार की जाकर एक आई.ओ. एवं एक आरोपी के लिए खुली हालात में रखी गई । आरोपी श्री पूरणमल मीणा व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई । ताबाद उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी पटवार हल्का बागरा, जिला जालोर एवं परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप दिनांक 14.01.2026 को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे एक मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई है । उक्त मूल मैमोरी को रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर RAJ-M6 DEC-25, 8 GB लिखा हुआ पाया गया, जिसकी हैश वैल्यू निकालकर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड में अंकित की गई जिसका फाईल नाम 260114_1851.mp3 एवं हैश वेल्यू 3d2d61f86c682b5caa2815de9e0729fd863b832efa1ecbc4ece 0547d341757ff व उक्त फाईल का एल्गोरिथम SHA256 है । उक्त मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखा जाकर मैमोरी कार्ड कवर को एक सफेद लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर उस पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क " L" अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात समय:- 02.00 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री पूरणमल मीणा पुत्र श्री श्योनारायण मीणा उम्र 32 वर्ष जाति मीणा, निवासी सुनारी पुलिस थाना राजगढ

जिला अलवर (राज.) हाल पटवारी पटवार हल्का बागरा, जिला जालोर मोबाईल नंबर। के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री पूरणमल मीणा को उसके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत करवाया जाकर हस्व कायदा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 38(ग) एवं 48 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य 2025 आई.एन.एस.सी. 162 के निर्देशानुसार के जरिये गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके मित्र श्री राकेश कुमार को दी जाकर फर्द गिरफ्तारी प्रारुप पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने व कार्यालय हाजा में हवालात की व्यवस्था नहीं होने से बाद स्वास्थ्य परीक्षण के पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में सुरक्षार्थ जमा करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी जालोर एवं थानाधिकारी जालोर के नाम पृथक-पृथक तहरीर जारी कर श्री कालूराम कानि. 477 व चालक श्री भरतसिंह नं. 501 जरिये निजी वाहन के तहरीर मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री पूरणमल मीणा को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया गया जो राजकीय चिकित्सालय जालोर से आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाकर हाजिर कार्यालय आये, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मय कोतवाली की प्राप्त रसीद सुपुर्द की जो शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्रकरण की पत्रावली, स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चौहान व श्री हनुमानाराम, परिवादी श्री राजपुरोहित हितेश कुमार व ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड.कानि. नं. 93, श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232, श्री करणीदान कानि. 236 मय सरकारी विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के जरिए निजी वाहन के उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मूर्तिब करने हेतु घटनास्थल भीनमाल बाईपास तिराया स्थित श्री अर्बुदा टी स्टॉल एण्ड जनरल स्टोर जालोर पहुंच परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका मूर्तिब किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार को घटनास्थल से ब्यूरो कार्यालय जालोर पहूंचने की आवश्यक हिदायत कर घटनास्थल से रुकस्त किया गया। तत्पश्चात मन् एएसपी मय टीम हमराहान के पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में बंद आरोपी श्री पूरणमल मीणा को प्राप्त कर मय आरोपी तथा इमदाद हेतु पुलिस थाना कोतवाली जालोर से कृष्णा म.कानि. 1120 को हमरा लेकर के कोतवाली से रवाना होकर आरोपी के किराये का मकान रामदेव कॉलोनी जालोर पहूंचे जहां रुबरु स्वतंत्र गवाहान आरोपी की उपस्थिति मे आरोपी के रहवासी किराये के मकान की नियमानुसार खाना तलाशी ली गई। दौराने खाना तलाशी परिवादी के कृषि भूखण्ड का नामान्तरण करवाने हेतु परिवादी द्वारा दिए गए दस्तावेज के संबंध में पुछने पर आरोपी द्वारा किराये के मकान में रखे स्वयं के बेग मेंसे कुछ दस्तावेज पेश किये जिनका अवलोकन किया गया तो उक्त दस्तावेज परिवादी की पत्नि श्रीमति कंकर कंवर के नाम बागरा में स्थित कृषि भूखण्ड खसरा संख्या 2829,2830 व 2831 कुल रकबा 3.4000 हैक्टयर में से 1/18 हिस्सा यानि 0.1889 हैक्टयर मेसे आराजी रकबा 0.0214 हैक्टयर खरीद की रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां मय श्रीमति कंकर कंवर का स्वःप्रमाणित आधार कार्ड की फोटो प्रति होना पाया गया। उक्त रजिस्ट्री मय दस्तावेजो पर आरोपी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर जरिए फर्द जब्ती के कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। खाना तलाशी के दौरान राजकीय विडियो कैमरे से हमरा श्री करणीदान कानि. 236 से विडियोग्राफी करवाई गई। उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बबन मिश्रा कानि. 110 व श्री करणीदान कानि. 236 द्वारा राजकीय विडियो कैमरे में मैमोरी कार्ड इन्सट्राल कर करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड स्वतंत्र गवाहान के रुबरु विडियो कैमरे से बाहर निकलवाया जाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर के माध्यम से मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड सुदा रिकार्डिंग की हैश वेल्यू निकलवाई जाकर रिकार्डिंग की दो पेन-ड्राईव कोर्ट/आई.ओ.कॉपी तैयार करवाई जाकर खुली हालात में रखी गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को रुबरु स्वतंत्र गवाहान के जरिये फर्द जब्ती जब्त कर एक प्लास्टिक के पाउच में रखकर उक्त पाउच को एक सफेद लिफाफे में रखकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क V अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादी तथा आरोपी के मध्य मोबाईल फोन से वाट्सअप पर हुई चेट/कॉल का रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के स्क्रिन शॉट लिया जाकर कम्प्यूटर के माध्यम से प्रिन्ट आउट निकालकर दोनो गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही में फर्दात के मुताबिक जब्त सुदा मालखाना आईटम्स क्रमशः धोवन की शीशीयां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, एच-1 व एच-2, वक्त वाका पहनी हुई हुड्डी(जैकेट) जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई का पैकेट मार्क- एच, बरामदा रिश्वती राशि पैकेट मार्क- एम-1, रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व स्वयं वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैंमोरी कार्ड मार्क एम एवं दो डब डीवीडी खुली हालात में व रिश्वती राशि लेन-देन रुबरु वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड मार्क-एल व दो डब डीवीडी खुली हालात मे एवं संपूर्ण कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड मार्क V व दो डब पेन-ड्राईव खुली हालात में तथा आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान जामा तलाशी में मिला एक मोबाईल वन प्लस कंपनी का मॉडल नोर्ड सीई-3 और

600 रुपये नकद इत्यादि वजह मबूत जब्त आईटम मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त अब तक की संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही में पाया गया कि आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी, पटवार हल्का बागरा, जिला जालोर द्वारा परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से उसकी पत्नि श्रीमति कंकर कवंर के नाम से बागरा में कृषि भूखण्ड खसरा संख्या 2829,2830 व 2831 कुल रकबा 3.4000 हैक्टयर में से 1/18 हिस्सा यानि 0.1889 हैक्टयर मेसे आराजी रकबा 0.0214 हैक्टयर (प्लॉट) अगस्त 2024 में खरीद किये हुए की रजिस्ट्री जो परिवादी की पत्नि के नाम से है जिसका म्यूटेशन भरने के जायज कार्य को करने की एवज में परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी द्वारा 20,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था, जिस पर आरोपी द्वारा दौराने मांग सत्यापन रिश्वत राशि 18,000/- रुपये लेने हेतु सहमत होकर दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त 18,000/- रुपये रिश्वत राशि परिवादी राजपुरोहित हितेश कुमार से दिनांक 14.01.2026 को प्राप्त करते हुए आरोपी श्री पूरणमल मीणा पटवारी, पटवार हल्का बागरा, जिला जालोर को रंगेहाथों गिरफ्तार होना जिससे आरोपी श्री पूरणमल मीणा पुत्र श्री श्योनारायण मीणा उम्र 32 वर्ष जाति मीणा, निवासी सुनारी पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर (राज.) हाल पटवारी पटवार हल्का बागरा, जिला जालोर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय एसडी (मांगीलाल राठौड़) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पूरणमल मीणा पुत्र श्री श्योनारायण मीणा उम्र 32 वर्ष जाति मीणा, निवासी सुनारी पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर (राज.) हाल पटवारी पटवार हल्का बागरा, जिला जालोर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय को मनोनित किया गया है। जिसकी रोजनामचाआम 250 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 99-102 दिनांक 15.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- जिला कलक्टर, जालोर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर 5- पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and **took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): **(जाँच** अधिकारी का नाम): khinw SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation **(को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, **या)**

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction **(को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]1/2026 1[illegible]4

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	19[illegible]4				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Place Of(का स्थान)			Others (अन्य)
			Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)